न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 288 / 2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 जगमाल सिंह पुत्र हरदेवाराम उम्र 67 वर्ष जाति जाट निवासी गढ़ला कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 श्याम कुमार उम्र 52 वर्ष पुत्र सोनाराम।
2 जयसिंह उम्र 43 वर्ष पुत्र सोनाराम।
3 रूड़ी देवी उम्र 79 वर्ष पत्नी सोनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण गढ़ला कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू
4 जमनाराम उम्र 61 वर्ष पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी गढ़ला कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 जयकोरी उम्र 71 वर्ष पत्नी प्रभात।
6 झिमकोरी उम्र 71 वर्ष पत्नी श्रीचन्द।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

7 तुलसी उम्र 69 वर्ष पत्नी सुण्डाराम समस्त जाति जाट निवासी चुली की ढ़ाणी तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

8 नानची उम्र 66 वर्ष पत्नी जगदेवाराम जाति जाट निवासी नाटास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

9 बरजी उम्र 56 वर्ष पत्नी देवीसहाय जाति जाट निवासी बोराणा की ढ़ाणी तन चिंचड़ोली तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

10 संतोष उम्र 53 वर्ष पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी बोराणा की ढ़ाणी तन चिंचडोली तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

11 तहसीलदार एंव लैण्ड होल्डर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ. धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
विरूद्व निर्णय दिनांक 17.06.2016 बअदालत उपखण्ड
अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी
उनवानी श्यामकुमार आदि बनाम जगमाल सिंह मु.नं.517/15

उपस्थित

1. श्री अमित शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

—निर्णय—

दिनांकः—30.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा वाद संख्या 517/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में वाके ग्राम गढवाकलां की भूमि खसरा नम्बर 41,100, 102,103,104,137/4,163,276/1,276/2,570/278,588/273,589/273, 613/305 के सन्दर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री से प्राथमिक डिक्री पारित की है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार दावा किया था जिसके विरूद्व मैने आपत्ति प्रस्तुत कर दी थी। काउन्टर क्लेम पेश किया था विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई के लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित कर दिया है। जो विधिक प्रकिया की विपरित है अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण पुन निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट के तर्क स्वीकार नही है प्रारम्भिक डिक्री औ अंतिम डिक्री पारित होकर रिकार्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट ने अंतिम डिक्री की अपील नही की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

है। अंतिम डिक्री की अपील नही होने से प्रारम्भिक डिक्री की अपील चलने योग्य नही है। अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट की विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 जयकौरी की और से काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। अपीलांट की और से न तो जवाब पेश किया गया है न ही काउन्टर क्लेम पेश किया गया है अपीलांट द्वारा अपील के पैरा संख्या 5 में जवाब दावा काउन्टर क्लेम दिनांक 12.02.2016 को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने का कथन किया है किन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली से इसकी पुष्टि नही होती है अपितु अपीलांट का कथन मिथ्या साबित होता है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 जयकोरी का जवाब एवं प्रतिदावा पेश है उसकी और से कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव पर जयकोरी के अंगुठा निशानी भी मौजुद है यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट द्वारा केवल मात्र प्राथमिक डिक्री की अपील की गई है। जिसमें विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के मुताबिक विभाजन की डिक्री पारित की है इसमें विचारण न्यायालय ने अपीलांट का हिस्सा कम नही किया है अपीलांट ने अतिम डिक्री की अपील भी नही की है। विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित की जाकर राजस्व रिकार्ड में उसका अमल दरामद हो चुका है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाया जाता है हम उसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है अपीलांट की अपील सारहीन है अत अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर